

उद्गम स्थान पर कटौती की दरे और इनसे सम्बन्धित समस्याएं



डॉ राज कुमार

एम.कॉम., पीएच.डी., (वाणिज्य)

बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर (बिहार)

जिस स्थान पर आय उत्पन्न होती है, उसी स्थान पर आय का भुगतान करने वाला एक निश्चित दर से आय-कर की कटौती करके शेष राशि करदाता को भुगतान कर देती है।

ऐसे कई आय हैं जिनका भुगतान करते समय उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है इन से सम्बन्धित कटौती की दरे और इनसे सम्बन्धित समस्याओं का वर्णन यहां पर किया गया है जो निम्नलिखित है :-

वेतन पर कर की कटौती की दर :-

धारा 192 के अन्तर्गत नियोक्ता अपने कर्मचारियों के वेतन की रकम पर प्रत्येक माह उसमें से आय-कर की रकम काटती है तथा काटी गयी रकम को सरकारी खजाने में जमा करती है। इसके लिए सर्वप्रथम करदाता की कर-योग्य वेतन की गणना की जाती है फिर इसे चार खण्डों में विभाजित कर प्रत्येक खण्ड पर भिन्न भिन्न दरों से कर की कटौती की जाती है। प्रथम खण्ड कर-मुक्त होता है अगले तीन खण्डों पर भिन्न-भिन्न दरों से जैसे, 10%, 20% तथा 30% की दर से कर लगाया जाता है। यहाँ पर दूसरे और तीसरे खण्ड की दरों में वृद्धि करने की आवश्यकता है साथ ही कर-मुक्ति की सीमा जो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है इसमें कुछ स्थायित्व लाने की आवश्यकता होगी।

करदाता के वेतन से होने वाले आय पर निश्चित दर से कर निकालने में असुविधा होती है क्योंकि समय-समय पर कर-मुक्ति सीमा में परिवर्तन तथा अगले तीन खण्डों की राशि में भी परिवर्तन होते रहने से कर की राशि निकालने में कठिनाई होती है। कर निकालने के लिए नियोक्ता को आयकर विभाग द्वारा परिवर्तित नई राशि व दरों का पता लगाना होता है जो नियोक्ता के लिए एक समस्या होता है।

प्रतिभूतियों पर ब्याज में से कर की कटौती कर दरें :-

धारा 193 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी, संस्था अथवा अन्य कोई व्यक्ति, प्रतिभूतियों पर ब्याज की राशि पर निर्धारित दर से कर की कटौती करता है वित्तीय वर्ष 2008-09 में 10% है। यह दर समय-समय पर परिवर्तित होते रहे हैं। जिससे ब्याज का भुगतान करने वाले को उद्गम स्थान पर कर की कटौती करने में असुविधा होती है। साथ ही करदाता को भी नई दरों का पता न होने के कारण असंतुष्टि होती है। परिणामस्वरूप विवाद की सम्भावना बढ़ जाती है। साथ ही मान्य स्टॉक एक्सचेंज में Listed हो तथा Listed न होने पर दरें परिवर्तित हो जाती हैं फिर अधिमार भी परिवर्तित दरें समस्या को और भी बढ़ा देता है।

प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त अन्य ब्याज पर कर की कटौती की दर :- धारा 194A के अन्तर्गत, प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त अन्य ब्याज पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर दर वित्तीय वर्ष 2008–09 में 20% है यह दर समय–समय पर बदलते रहे हैं जिसके कारण ब्याज का भुगतान करने वाले को नई दरों का पता लगाने व कर की कटौती करने में असुविधा का सामना करना पड़ता है।

लॉटरी अथवा वर्ग पहेली आदि के इनाम पर कर की कटौती की दर :-

धारा 194B के अन्तर्गत, लॉटरी अथवा वर्ग पहेली आदि के इनाम पर वित्तीय वर्ष 2008–09 में उद्गम स्थान पर कर की कटौती 30% + अधिभार यदि हो तो + शिक्षा उपकर 3% की दर से की जाती है। इस दर में भी समय–समय पर परिवर्तन होते रहे हैं जिसके कारण इनाम का भुगतान करने वाले को नई दरों का पता लगाना और कर कर काटना एक समस्या है साथ ही इनाम प्राप्तकर्ता को भी नई दर से कर काटे–जाने के कारण असंतोष की भावना जन्म लेती है।

घुड़दौड़ में जीती हुई राशि पर कर की कटौती की दर :-

धारा 194BB के अनुसार घुड़दौड़ में जीती गई राशि पर वित्तीय वर्ष 2008–09 में उद्गम स्थान पर 30% + अधिकार यदि हो तो + शिक्षा उपकर 3% की दी से कर की कटौती की जाती है यह दर भी समयानुसार बदलते रहे हैं जो कर–निर्धारण में समस्या उत्पन्न करती है।

ठेकेदारों व उप–ठेकेदारों को किये गये भुगतानों में से कर की कटौती की दर :-

धारा 199C के अन्तर्गत ठेकेदारों व उप–ठेकेदारों को भुगतान की गई राशि पर वित्तीय वर्ष 2008–09 में उद्गम स्थान पर कर की कटौती विज्ञापन के ठेके के सम्बन्ध में 1% + अधिभार यदि देय है तो + शिक्षा उपकर 3% तथा अन्य किसी दशा में 2% + अधिभार यदि हो तो + शिक्षा उपकर 3% की दर से कर की कटौती की जाती है यह दर भी समय–समय पर बदलते रहे जिसके कारण कर निर्धारण में समस्या होती रही है और नयी दरों से कर काटने के कारण ठेकेदार व उप–ठेकेदारों में असंतोष की भावना बढ़ी है। साथ ही कर की दर काफी कम है जिसके कारण सरकार को राजस्व की हानि उठानी पड़ रही है।

बीमा कमीशन पर कर की कटौती की दर :-

धारा 194D के अनुसार, बीमा कमीशन पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती वित्तीय वर्ष 2008–09 में गैर कम्पनी की दशा में 10%+ अधिभार यदि देय है + शिक्षा उपकर 3% तथा घरेलू कम्पनी की दशा में 20% + अधिभार यदि देय है + शिक्षा उपकर 3% की दर से कटौती की जाती है इसका दर भी समय–समय पर परिवर्तित होते रहे हैं इससे कर की राशि निकालने में परेशानी आती है। साथ ही नयी दर से कर काटे जाने के कारण करदाता हतोत्सहित हो जाता है कटौती की दर भी कम है जिसके कारण सरकार को प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में राजस्व की हानि हो रहा है।

अनिवासी खिलाड़ियों अथवा खेल संघों को भुगतान में से उद्गम स्थान पर कटौती की दर :-

धारा 194E के अनुसार अनिवासी खिलाड़ियों अथवा खेल संघों को भुगतान में से उद्गम स्थान पर 10% + अधिभार, यदि देय है + शिक्षा उपकर 3% की दर से कटौती की जाती है यह दर समय–समय पर परिवर्तित होते रहे हैं जिस कारण परिवर्तित नये दर से कर की कटौती करने में भुगतान करने वाले को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है साथ ही अनिवासी खिलाड़ियों को नयी दर का पता न रहने के कारण असंतोष की भावना उत्पन्न होती है यह दर भी कुछ कम प्रतित होती है। अतः दर की स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए कुछ बढ़ाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय बचत योजना में विनियोजित राशि में से भुगतान करने पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती की दर :-

धारा 194EE के अनुसार, राष्ट्रीय बचत योजना में जमा राशि पर ब्याज का भुगतान करने वाले को वित्तीय वर्ष 2008–09 में उद्गम स्थान पर 20% + अधिभार यदि हो तो, + शिक्षा उपकर 3% की दर से कटौती की जाती है। कटौती की इस दर में समस्या यह है कि इस में भी कई बार समय—समय पर परिवर्तन होते रहे हैं साथ ही अधिमार एवं शिक्षा उपकर में भी परिवर्तन होते रहे हैं इससे सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में कर—निर्धारण करने में ब्याज का भुगतान करने वाले को कई असुविधा का सामना करना पड़ता है। कटौती की दर भी कम है जिसके कारण सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। अतः इस ओर आयकर विभाग को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

पारस्परिक कोष (Mutual Fund) अथवा यूनिट फ्रेस्ट द्वारा यूनिटों के पुनः क्रय के भुगतान पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती :-

धारा 194F के अन्तर्गत धारा 80CCB में वर्णित यूनिटों के पुनः क्रय करने पर अथवा योजना के समाप्त होने पर धन वापसी के ऐसे भुगतान पर वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए उद्गम स्थान पर 20% + अधिभार यदि देय है + शिक्षा उपकर 3% की दर से कर की कटौती की जाती है। इस दर में भी बराबर परिवर्तन होते रहे हैं इससे भुगतान करने वाले को कर—की कटौती करने में कठिनाई होती है क्योंकि उसे आयकर विभाग द्वारा निर्धारित नयी दर व नियमों की जानकारी करनी होती है। साथ ही कटौती की दर भी कम है जिसके कारण सरकार को प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में कर वसूली की राशि से वंचित होना पड़ रहा है।

लॉटरी के टिकटों को बेचने वाले को कमीषन, आदि के भुगतान पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती की दर :-

धारा 194G के अनुसार कोई कमीशन, पारिश्रमिक अथवा इनाम का भुगतान करने वाले को उद्गम स्थान पर वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए 10% + अधिभार यदि हो तो + शिक्षा उपकर 3% की दर से कर की कटौती की जाती है। यह दर भी समय—समय पर बदलते रहे हैं नयी दर से कर की कटौती करने इनाम आदि का भुगतान करने वाले को कठिनाई होती है क्योंकि उसे नयी दर का पता आयकर विभाग से समय—समय पर करनी होती है साथ ही कर की दर 10% है जो कम है। कटौती की दर कम होने से सरकार को प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में कर वसूली की राशि से वंचित होना पड़ रहा है।

कमीषन या दलाली के सम्बन्ध में कर की कटौती की दर :-

धारा 194H के अनुसार, कमीषन या दलाली का भुगतान करने वाले को उद्गम स्थान पर वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए कर की कटौती 10% + अधिभार, यदि देय है + शिक्षा उपकर 3% की दर से की जाती है इस दर में भी समय—समय पर परिवर्तन होते रहे हैं जो कि अपने आप में एक समस्या है साथ ही कटौती की दर 10% है जो काफी कम है जिस कारण सरकार को बड़ी मात्रा में कर वसूली की राशि से वंचित होना पड़ा रहा है।

किराये के भुगतान करने पर कर की कटौती की दर :-

धारा 194-I के अन्तर्गत, किसी व्यक्ति को किराये के रूप में 120,000 रु० से अधिक भुगतान किया जाता है तो भुगतान करने वाले को उद्गम स्थान पर वित्तीय वर्ष 2008–09 के निम्नलिखित दर से कर की कटौती करनी होगी :-

- (क) मशीनरी प्लाण्ट या उपस्कर के प्रयोग के लिए :- 10% + अधिभार, यदि देय है + शिक्षा उपकर 3%,
- (ख) अन्य सम्पत्तियों के प्रयोग के लिए :-

- (i) यदि भुगतान प्राप्तकर्ता एक व्यक्ति अथवा हिन्दू अधिभाजित परिवार है तो 15% + अधिभार, यदि देय है + शिक्षा उपकर 3%,
- (ii) यदि भुगतान प्राप्तकर्ता अन्य व्यक्ति है तो 20% + अधिभार यदि देय है + शिक्षा उपकर 3% की दर से कर की कटौती की जाएगी।

उपरोक्त कर की कटौती की दर, अधिभार की दर व शिक्षा उपकर की दर में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं जिसके कारण भुगतान करने वाले को कर की कटौती करने में समस्यायें आती हैं क्योंकि कर की कटौती करने के लिए भुगतान करने वाले को आयकर विभाग से नयी कटौती की दर का पता भी समय समय पर करना होता है।

पेषे अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की आय पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती की दर :—

धारा 194J के अनुसार, पेषे अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की आय पर भुगतान करने वाले को उद्गम स्थान पर, भुगतान की राष्ट्रीय पर 10% + अधिभार यदि हो तो + शिक्षा उपकर 3% की दर से वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए काटा जाएगा। इस आय कर कटौती की यह दर में भी समय–समय पर परिवर्तन होते रहे हैं साथ ही अधिभार तथा शिक्षा उपकर में भी परिवर्तन होता रहा है कटौती की दर में समय–समय पर परिवर्तन होते रहने से आय का भुगतान करने वाले को आय पर कर–निर्धारण करने में कठिनाई आती है। फिर कटौती की दर भी काफी कम है जिसके कारण सरकार को राजस्व की कम राशि वसूल होती है।

युनिटों की आय पर कर की कटौती :—

धारा 194K के अनुसार यूनिटों की आय पर कर की कटौती उद्गम स्थान पर की जानी चाहिए परन्तु वित्त अधिनियम 2003 द्वारा यह संशोधन किया गया है कि कर–निर्धारण वर्ष 2005–2006 से यूनिट धारकों की आय कर–मुक्त होगी। अतः उद्गम स्थान पर कोई कर की कटौती नहीं की जाएगी। इस संशोधन से सरकार को कर वसूली से सम्बन्धित आय में कमी आयी है जो एक समस्या है।

अनिवासियों को तथा विदेशी कम्पनी को किये गये भुगतान पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती की दर :—

धारा 195 के अनुसार, किसी अनिवासी करदाता को (अनिवासी कम्पनी को छोड़कर) वेतन एवं प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त कर–योग्य आय के रूप में कोई भुगतान करता है तो उद्गम स्थान पर कर की कटौती लागू आय–कर की दर से कर की कटौती की जाती है। लेकिन यदि एक अनिवासी, जिसे कोई ऐसी राशि प्राप्त है जिस पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती होनी है, कर–निर्धारण अधिकारी को प्रार्थना–पत्र दे सकता है कि उसे ऐसा प्रमाण–पत्र दे दिया जाय जिससे उसे यह भुगतान, बिना कर काटे हुए अथवा कम दर से कर काटकर प्राप्त हो जाय तो प्रमाण–पत्र में वर्णित दर से ही कर की कटौती होगी।

कटौती की दर में कमी करने से भुगतान करने वाले को उद्गम स्थान पर कर की राशि निकालने में कठिनाई होती है क्योंकि उसे प्रमाण–पत्र में वर्णित दर को आय–कर अधिकारी से सन्तुष्ट होना होता है कि निर्धारित दर सही है या नहीं।

अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण पर प्रतिफल का भुगतान पर कटौती की दर :—

धारा 194LA के अनुसार, ऐसी आय का भुगतान करने वाले को उद्गम स्थान पर वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए 10% + अधिभार यदि देय है तो + शिक्षा उपकर 3% की दर से कर की कटौती की जाएगी। कटौती की यह दर कुछ ज्यादा की कम है, कम दर से कटौती होने पर सरकार को कर के रूप में कम राशि प्राप्त होती है।

विदेशी मुद्रा में क्रय किये गये Units से आय अथवा उनके हस्तान्तरण से पूँजी लाभ पर कर की कटौती की दर :-

धारा 196B के अनुसार ऐसी आय पर 10% + अधिभार यदि हो तो + शिक्षा उपकर 3% की दर से वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जायेगी। यहाँ पर समस्या यह है कि कटौती की दर केवल 10% है जो काफी कम है जिस कारण सरकार को कम राशि कर के रूप प्राप्त होता है।

विदेशी मुद्रा में क्रय किये गये बॉण्ड्स अथवा सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीद (Global Depository Receipts) पर ब्याज का अनिवासी को भुगतान पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती :-

धारा 196C के अनुसार, ऐसे हस्तान्तरण से उदय होने वाला दीर्घकालीन पूँजी लाभ जो अनिवासी को देय है पर उद्गम स्थान पर वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए 10% + अधिभार यदि लागू है + शिक्षा उपकर 3% की दर से कटौती की जायेगी। कटौती की यह दर कम है जो एक समस्या है इस कारण सरकार को कम राजस्व वसूल होता है। साथ ही आय का भुगतान करने वाले को कर की राशि निकालने के लिए आवश्यक प्रलेक प्राप्त करने में भी असुविधा होती है।

विदेशी संस्थागत विनियोगी को भुगतान होने वाली राशि पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती की दर :-

धारा 196D के अनुसार धारा 115AD में वर्णित प्रतिभूतियों से आय यदि विदेशी संस्थागत विनियोगी को देय है तो उद्गम स्थान पर वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए 20% + अधिभार (यदि लागू है) + शिक्षा उपकर 3% की दर से कर की कटौती की जाती है।

यहाँ पर समस्या यह है कि धारा 115AD में वर्णित प्रतिभूतियों को ध्यान में रखना होगा साथ ही कर की कटौती की दर भी कम है जिस कारण सरकार को कम मात्रा में कर की वसूली होती है।

ऊपर उद्गम स्थान पर कर की कटौती की दरें और इनसे सम्बन्धित समस्याओं का वर्णन किया गया है। अब उद्गम स्थान पर कर काटने की समस्याओं का वर्णन किया जाएगा।

आय—कर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के प्रभाव से आय के उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है। अर्थात् आय का भुगतान करने वाला व्यक्ति उस आय में से अनुमानित आय—कर की राशि काट लेता है तथा काटी हुई राशि को करदाता के नाम से सरकारी खजाने में जमा कर देता है। उद्गम स्थान पर कर की कटौती करते समय आय का भुगतान करने वाले आयकर विभाग तथा करदाताओं को कई तरह की समस्याओं का समाना करना पड़ता है। जिसका वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है :—

आय का भुगतान करने वाले के दृष्टि कोन से :—

उद्गम स्थान पर कर की कटौती करते समय भुगतान करने वाले को कर काटने के सम्बन्ध में निम्न समस्याएँ हो सकती है :—

1. **कर—योग्य तथा कर—मुक्त आयों की सूची बनाने की समस्या :—** समय—समय पर आयकर अधिनियम में परिवर्तन होते रहने से कुछ आय किसी वर्ष विशेष में कर—योग्य आय होते हैं तो कुछ आय कर—मुक्त होते हैं। आय का भुगतान करने वाले को सर्वप्रथम सम्बन्धित वर्ष का करयोग्य आय तथा कर—मुक्त आय की सूची बनानी होती है। यह सूची प्रत्येक नये वर्ष में तैयार करनी होती है। सूची बनाने में यदि चूक होती है तो उद्गम स्थान पर कर की कटौती करने में समस्या हो सकती है।
2. **करदाताओं की सूची तैयार करने की समस्या :—** आय का भुगतान करने वाले व्यक्ति, संस्था अथवा कम्पनी; उद्गम स्थान पर कर की कटौती के लिए करदाताओं की सूची तैयार करता है।

इस सूची के अन्तर्गत दो प्रकार के करदाताओं की सूची तैयार की जाती है एक वो जिसका आय कर—योग्य है तथा दूसरा वो जिसका आय कर—मुक्त है। इस सूची को बनाने में भी आय का भुगतान करने वाले को समस्या उठानी पड़ती है इसमें चूक होने से उद्गम स्थान पर कर की कटौती की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जिनकी आय कर—मुक्त है उनकी आय पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती या जिनका आय कर—योग्य है उनके आय पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती न होने से विवाद होने की समस्या हो सकती है।

3. **कर—योग्य आय के निर्धारण में समस्या** :— आयकर विधान में समय—समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। बार—बार नियम में परिवर्तन होने से उद्गम स्थान पर आय कर की कटौती के लिए कर—योग्य आय के निर्धारण करने में समस्या होती है।
4. **कर की कटौती की समस्या** :— समय—समय पर करदाता की आय का कर—मुक्त सीमा तथा कटौती की दरों में परिवर्तन होने से भी उद्गम स्थान पर कर की कटौती करने में कठिनाई आती है।
5. **नियम की जानकारी की समस्या** :— आयकर विधान में समय—समय पर जो परिवर्तन होते हैं उसकी जानकारी के अभाव में आय का भुगतान करने वाले को उद्गम स्थान पर कर की कटौती करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
6. **आय—कर की कटौती की राशि को जमा करने की समस्या** :— आय का भुगतान करने वाला यदि उद्गम स्थान पर कर की कटौती करती है तो निश्चित समय सीमा के अन्दर काटी गयी राशि को सरकार के खजाना में जमा करना होता है। कार्य की अधिकता होने पर कभी—कभी समय पर राशि सरकारी खजाना में जमा नहीं हो पाता है जिसके कारण वह दण्ड का भागी हो जाता है। अतः भुगतान करने वाले को आय—कर की कटौती की राशि को निश्चित समय सीमा के अन्दर सरकारी खजाना में जमा करना भी एक समस्या है।
7. **कर कटौती का प्रमाण पत्र निर्गत करने की समस्या** :— धारा 203 के अन्तर्गत, उद्गम स्थान पर कर काटने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व होता है कि वह उस व्यक्ति को जिसकी आय से कर काटा गया है, कर की कटौती का एक प्रमाण—पत्र निर्गत करे। साथ ही इस प्रमाण—पत्र में कर काटी हुई राशि, कटौती की दर एवं अन्य आवश्यक विवरण प्रस्तुत करे कार्य की अधिकता होने पर प्रमाण—पत्र जारी करने में कभी—कभी विलम्ब हो जाती है जिस कारण विवाद की सम्भावना बढ़ जाती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कराधान विधान एवं लेखे—डॉ० एच.सी. मेहरोत्रा
2. आयकर विधान एवं लेखे—डॉ० आर. के. जैन
3. आयकर विभाग, मुजफ्फरपुर
4. योजना
5. टी.वी. न्यूज
6. दैनिक समाचार पत्र